


फर्द अहकाम

मालय सहायक कमिश्नर (फॉरस्ट ट्रेक) आगरा
मुल्तानालय-जयपुर

बनाम रामपाल गुजलाराम व कान
मा संख्या / वर्ष (पार्श्वनापत्र-डी-आई-20/2022)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/08/22	<p>पत्रावली पेशा डई अधिवक्तागण उच्च पक्ष उपस्थित कृषि पार्श्वनापत्र डी. आई. पर सुनी गई। मूलका पञ्चकारान के मध्य वादगत भूमि के डई मीटर एवं वाइडिंग विधि विभाजन से सम्बन्धित है। जिसे अन्तर्गत उच्च पक्षकारान अधिवक्तागण की सहमति एवं अधिवक्तामि निर्धारित सतपावची तक नी कोई मान्य/आपत्तिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं होगी के आधार पर प्राथमिक डिकी पारित की गई है।</p> <p>कार: मूलका के अन्तिम कितान तक उच्च पक्षकारान को भूमि के विक्रय, हस्तान्तरण व भू के यथावधि बनाए रखने वाकत कल्याई निषेधाया से पाबन्द किया जाना है। किरासत नामांतरण, रूफ्त की प्रविष्टि के शर्तों में निषेधाया कोई प्रतावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फेरल शुभद डोकरी नम्बर से डम डे। काद तडगील योविल 24तर है।</p>	


 सहायक कमिश्नर (फॉरस्ट ट्रेक) आगरा
 मुल्तानालय-जयपुर

